International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI)
ISSN (Online): 2319 – 7722, ISSN (Print): 2319 – 7714
www.ijhssi.org ||Volume 2 Issue 2 || February 2013 || PP 70-74

भारत में महिला मताधिकार एवं राजनीतिक सहभागिता

डॉ० अशोक कुमार
एसोसिएट प्रोफेसर
राजनितिक विज्ञान राजकीय महाविद्यालय टप्पल अलीगढ़

सार

राज्य के नागरिकों को देश के संविधान द्वारा प्रदत्त सरकार चलाने के लिए अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने के अधिकार को मताधिकार कहते हैं। जनतांत्रिक प्रणाली में इसका बहुत महत्व होता है। जनतंत्र की नींव मताधिकार पर ही रखी जाती है। इस प्रणाली पर आधारित समाज व शासन की स्थापना के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक वयस्क नागरिक को बिना किसी भेदभाव के मत देने का अधिकार प्रदान किया जाय।

परिचय

जिस देश में जितने अधिक नागरिकों को मताधिकार प्राप्त रहता है उस देश को उतना ही अधिक जनतांत्रिक समझा जाता है। इस प्रकार भारत विश्व के जनतांत्रिक देशों में सबसे बड़ा है क्योंकि यहाँ मताधिकार प्राप्त नागरिकों की सख्या विश्व में सबसे बड़ी है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 325 व 326 के अनुसार प्रत्येक वयस्क नागरिक को, जो पागल या अपराधी न हो, मताधिकार प्राप्त है। किसी नागरिक को धर्म, जाति, वर्ण संप्रदाय अथवा लिंग भेद के कारण मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।

आधुनिक भारत में नारी की मानसिक बौद्धिक क्षमता में इतनी अधिक वृद्धि हो गई है कि वह विश्व में घटित होने वाली किसी भी घटना की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करने में सक्षम हो गई है और प्रत्येक क्षेत्र में अपनी क्षमता को मनवा रही है। चाहे वह सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक या राजनीतिक। राजनीतिक क्षेत्र में सर्वप्रथम महिला मताधिकार का प्रश्न उपस्थित होता है, आज महिलाएँ भी अपने मत का प्रयोग पुरूषों के बराबर कर रहीं है। लेकिन 19वीं शताब्दी तक महिलाओं को विश्व के किसी भी देश के द्वारा मताधिकार नहीं दिया गया था। सर्वप्रथम 1928 में उन्हें इग्लैंण्ड के द्वारा यह अधिकार प्रदान किया गया। अमेरिका में 1920 में तथा फ्रांस में 1946 में उन्हें मताधिकार प्राप्त हो गया था। स्विट्जरलैण्ड में सबसे बाद में महिलाओं को यह अधिकार दिया गया। भारत में महिलाओं को स्वतंत्रता के पश्चात् ही यह अधिकार प्राप्त हो गया था। दिसम्बर 1946 में भारत की संविधान सभा का निर्माण हुआ तथा 14 महिलाओं को इसके सदस्य के रूप में शामिल किया गया।

भारतीय महिलाओं ने मताधिकारों की माँग की और भारतीय संविधान सभा में सहर्ष रूप से उन्हें यह अधिकार प्रदान किया। इसके द्वारा महिलाओं को पुरूषों के बराबर स्थान मिला। लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए संविधान निर्माताओं ने सर्वप्रथम अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता प्रदान की। 1919 में सरोजिनी नायडू के नेतत्व में वूमेंस इंडिया एसोसिएशन का शिष्टमण्डल ब्रिटिश वायसराय से मिला जिसने वोट के अधिकार की माँग की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्त्री मताधिकार का समर्थन किया। 1950, में भारतीय स्वतंत्रता के तत्काल बाद महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला परन्तु लोकसभा एवं अन्य निर्वाचित निकायों में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं था।

अभी भी चुनाव में खड़ी होने वाली महिलाओं का भाग कुल प्रत्याशियों की संख्या में से स्त्रियों की प्रतिनिधित्व दर 3 से 4 प्रतिशत (छठी लोकसभा में) 8 प्रतिशत (आठवीं लोकसभा में) के बीच ही होती है। प्रथम लोकसभा में केवल 22 महिला सदस्य थी जो कुल 499 सदस्यों का केवल 41 प्रतिशत भाग थी। छठी लोकसभा में सदन के 544 सदस्यों में कुल 44 में से केवल 19 महिलाए सांसद बनी जो सबसे न्यूनतम संख्या थी। यह कुल संख्या का 10 प्रतिशत भाग भी नहीं था। राज्यसभा की स्थिति भी ऐसी ही थी। परन्तु वर्तमान में स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है।

बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में महिलाओं का राजीनीति में वास्तविक प्रवेश हुआ। इस शताब्दी के प्रथम दशक में महिलाओं ने कांग्रेस के स्वदेशी आन्दोलन में उल्लेखनीय भूमिका निभाई तथा आगामी दशक में सीधे राजनीति में प्रवेश कर लिया। 1913 ई0 में राजनीति में प्रवेश करके आयरिश महिला एनीबेसेन्ट ने भारत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का परिचय दिया तथा भारत की महिलाओं को राजनीति मे प्रवेश करने की प्रेरणा प्रदान की। वे 1907 में कोलकाता में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष चुनी गई। इससे उन्होंने माग्र्रेट काजिन्स और सिस्टर निवेदिता के साथ मिलकर 'वेक अप इण्डिया' नामक आन्दोलन चलाया जो कालान्तर में होमरूल आन्दोलन में बदल गया था।

1917 ई0 में राजनीतिक भूमिका में भारतीय महिलाओं का प्रथम महत्वपूर्ण वर्ष था। जब उन्होने एक साथ कई नवीन दिशाओं में पग बढ़ाये। श्रीमती एनीबेसेन्ट के नेतत्व में महिलाओं को पुरूषों के समान मतदान करने की माँग को उठाया गया तथा उस तथ्य को परखा गया कि महिलाएँ स्थानीय शासन व शिक्षा के क्षेत्र में किस क्षमता से अपने दायित्व का निर्वाह करती हैं। फलतः 1907 में सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में कुछ प्रमुख महिलाओं का एक शिष्टमण्डल भारत मंत्री माँण्टेग्यु तथा वायसराय चेम्सफोर्ड से मिला। इस घटना को केवल महिला जागृति का प्रतीक नहीं कहा जा सकता अपितु राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय योगदान का प्रमाण कहा जा सकता है। इसी वर्ष 1917 ई0 में ही माग्र्रेट काजिन्स ने चेन्नई में वुमेन्स इण्डियन एसोशिएशन नामक एक अखिल भारतीय महिला संगठन बनाया जिसकी प्रेरणा श्रीमती बेसेन्ट और महात्मा गाँधी ने उन्हें दी थी। यद्यपि इस समय अंग्रेज संसद ने महिलाओं को मताधिकार से वंचित ही रखा था, परन्तु प्रान्तीय विधान सभाओं को इस मामले पर विचार करने की आज्ञा दे दी थी। फलतः महिलाओं को सीमित रूप से चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त हुआ। भारत में स्थापित अन्य संगठनों ने भी मिल-जुलकर अंग्रेजी सरकार का कड़ा विरोध किया और अन्त में सफलता प्राप्त की और मताधिकार का मामला प्रान्तीय विधानसभा को सौंप दिया गया।

1919 ई0 में महिला कार्यकत्रियों के प्रयासों के फलस्वरूप नई विधान परिषद ने महिलाओं को सीमित मताधिकार दिये जाने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया था और 1926 ई0 में उन्हें पुरूषों के समान मताधिकार का अधिकार प्राप्त भी हो गया। इसी वर्ष उन्हें प्रान्तीय विधानसभाओं के लिए चुनाव लड़ने का भी अधिकार मिल गया और श्रीमति कमला देवी चट्टोपाध्याय प्रथम महिला थी जिसने दक्षिण कनारा क्षेत्र में विधान परिषद के लिए चुनाव लड़ा परन्तु वह पराजित हो गयी फिर भी इसे महिलाओं की एक महान उपलब्धि स्वीकार किया गया क्योंकि यह हार लगभग पाँच सौ मतों के अन्तर से हुई थी। इस पराजय के बाद भी भारतीय महिला परिषद ने चेन्नई सरकार पर दबाव डालकर उन्हें नामजद प्रतिनिधि के रूप में विधानसभा में सम्मिलित करने के लिए तैयार कर लिया। फलतः महिलाओं को प्रोत्साहन मिला और 1926 ई0 में होने वाले चुनावों में चट्टोपाध्याय और एन्ना ऐंजेलो विजयी रहीं। इसी समय डा0 मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी अम्मल को चेन्नई व्यवस्थापिका में सदस्य नामित किया गया तथा 20 वर्ष से कम समय में ही भारतीय महिलाओं ने नागरिक के रूप में अपने दायित्व के पालन का समान अधिकार प्राप्त कर लिया।

इसके पूर्व 1925 में श्रीमती सरोजनी नायडू को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जा चुका था। 1927 ई0 स्थापित आॅल इण्डिया वुमेन्स कान्फ्रेंस, यद्यपि प्रकृति से गैर-राजीतिक संगठन था परन्तु इसने सामाजिक सुधारों के साथ-

साथ महिलाओं में राजनीतिक जागृति उत्पन्न करने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। आज भी यह संगठन महिलाओं के उत्थान के लिए निरन्तर क्रियाशील है। इस संगठन का महत्वपूर्ण नारा 'समान अधिकार और समान दायित्व' का है। यह किसी प्रकार की कोई विशेष सुविधा अथवा आरक्षण के पक्ष में नहीं है।

इस प्रकार भारतीय राजनीति में महिलाओं की सहभागिता बढ़ी है यदि हम मतदाता के रूप में भारतीय महिलाओं की भागीदारी की बात करें तो वह पुरूषों की तुलना काफी कम है। 15वीं लोकसभा के लिए हुए चुनावों में महिलाओं का मतदान प्रतिशत प्रथम चुनाव की तुलना में बढ़ा है। परन्तु इसमें स्थापित नहीं हैं इसमें उतार-चढ़ाव आते रहें है। चुनाव में उम्मीदार के रूप में महिलाओं की संख्या पुरूषों की तुलना में काफी कम है। इसकें लिए हमारी सामाजिक मान्यताओं के साथ-साथ राजनीतिक दलों के द्वारा महिलाओं को टिकट न देना भी एक प्रमुख कारण है। वर्ष 2009 के आम चुनावों भारतीय जनता पार्टी ने 44, कांग्रेस ने 43, बहुजन समाज पार्टी ने 28, माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 6 और साम्यवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 4 महिला प्रत्याशियों को खड़ा किया था। राजनीतिक दलों द्वारा महिलाओं को टिकट न देने के पीछे का कारण उनका महिलाओं के जीतने की सम्भावना पर शक करने के साथ उनका महिलाओं के प्रति विभिन्न प्रकार के पूर्वाग्रहों से ग्रस्त रहना है। साथ ही महिलाओं के राजनीति में आने से उन्हें उनकी शक्ति कम होने का डर भी रहता है। लेकिन इन सबके बावजूद भी 73वें 74वें संवैधानिक संशोधन के पश्चात् महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता बढ़ी है आज महिलाएँ स्थानीय स्तर पर अत्यधिक सशक्त हुई है अर्थात उनके स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व में बढ़ोत्तरी हुई है।

स्थानीय निकायों में 33 प्रतिशत आरक्षण मिलने के फलस्वरूप लगभग 1 लाख से अधिक महिलाएँ लाभान्वित हुई हैं तथा उन्हें नीति-निर्धारण एवं नेतृत्व के उत्तरदायित्व का अवसर प्राप्त हुआ है। यह महिलाओं की राजनीतिक जागरूकता का महत्वपूर्ण चरण है तथा अब इसकें परिणाम भी परिलक्षित होने लगे हैं।

अनेक सर्वेक्षण द्वारा ऐसे तथ्य सामने आए हैं जहां अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं उन्होने अपने उत्तरदायित्वों को अत्यन्त प्रशंसनीय ढंग से निभाया है। स्पदाष् नामक पत्रिका के एक लेख में यह कहा गया हैं कि अब 1 लाख इन्दिरा स्थानीय राजनीति में पदार्पण कर चुकी हैं और उनका सक्रिय राजनीति में जागरूकत होने का आभास होने लगा है। इसके प्रारम्भ से ही आशाजनक परिणाम मिल रहें हैं और महिलाओं की राजनीतिक जागरूकता और अधिक सफल हो सकती है जब महिलाएं राजनीति में अधिक से अधिक सक्रिय हों।

इसी से वे समान अवसर व अधिकार प्राप्त कर सकती हैं लोकतन्त्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आत्मनिर्धारण के द्वारा सरकार के निर्णयों में और उसकी प्रक्रिया में सामूहिक प्रयास किया जाता है इस सामूहिक प्रयास में यदि पुरूष व महिला दोनों की समान भागीदारी न हो तो वह प्रयास कभी उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए कहा जा सकता है कि महिलाओं की भागीदारी लोकतन्त्र की सफलता के लिए एक साधन है, साध्य नहीं है, साध्य तभी प्राप्त होगा जब महिलाओं के कार्यो को समुचित आदर व सम्मान प्राप्त हो। महिला आरक्षण से उनकी राजनीति में भागीदारी की मात्रात्मक वृद्धि तो अवश्य हुई है, परन्तु इस क्षेत्र में उनकी गुणवत्ता व प्रभावशाली को स्थापित करना उनके स्वयं के ऊपर निर्भर करता है।

अतः इन समस्याओं के उन्मुलन के लिए यह आवश्यक है कि महिलाओं को सशक्त बनाया जाये, उनके मन में व्याप्त असुरक्षा की भावना को समाप्त किया जाये। बालिकाओं को बहादुर बनाया जाये और उन्हें अनेक राजनीतिक अधिकारों के विषय में बताया जाये और उनके लिए ऐसी व्यवस्था की जाये कि उनमें हिंसा का प्रतिकार करने की क्षमता विकसित हो, महिलाओं के विकास के अवसर प्रदान किये गये है लेकिन ऐसी स्थितियां निर्मित नहीं की गयी है

जिनसे कि वे इन अवसरों का लाभ उठा सके। इसके लिए जहां एक ओर महिलाओं के भीतर विद्यमान चेतना को प्रबल बनाया है, वही दूसरी ओर महिलाओं से जुड़े मुद्दों और प्रश्नों को समाज की चिन्ता का केन्द्र बनाना। सभी को इस तथ्य से भी अवगत कराना होगा कि महिलाओं को सुरक्षा, समानता और सम्मान, सबल और सम्मानित बनाने के लिए बहुआयामी प्रयास देश में प्रारम्भ हो गये हैं। संक्षेप में कुछ ऐसे प्रमुख कारण हैं जो महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता को प्रभावित करते हैं तथा उनके मार्ग में बाधक बनते हैं-

1. राजनीतिक जागरूकता का आभाव

i. राजनीतिक निर्णय लेने में असमर्थ

2. राजनीति दलों एवं नेताओं द्वारा महिला उम्मीदवारों को टिकट देने में कटौती
3. सामाजिक एवं पारिवारिक बंधन
4. चरित्र हनन का भय
5. राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी एवं महिलाओं के प्रति वचनबद्धता का अभाव
6. आर्थिक दृष्टि से पुरूष पर स्त्री की निर्भरता
7. घर की चार-दीवारी में रहने के कारण दृष्टिकोण का संकुचन
8. शिक्षा के क्षेत्र में स्त्रियों की उपेक्षा
9. पर्दा प्रथा-स्त्रियों की कूप मण्डूक प्रवृत्ति
10. राजनीतिक का अपराधीकरण एवं बल तथा शक्ति का प्रयोग।

इस प्रकार की कुछ कमियों के कारण महिलाएँ राजनीति में आने से घबराती हैं उनकी समस्या का समाधान निम्न उपयों द्वारा किया जा सकता है।

स्त्री-पुरूष से किसी भी प्रकार हीन नहीं है। इस भावना को प्रोत्साहन के लिए लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव संविधान द्वारा अमान्य कर दिया गया है अब महिला भी सभी क्षेत्रों में कन्धे से कन्धा मिलाकर चल सकती है।

आर्थिक दृष्टि से महिला पुरूष पर निर्भर नहीं रहें है। इसके लिए उन्हे अनेक संक्षिप्त शिक्षा पाठ्यक्रम तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए हैं।

महिलाओं की शिक्षा की उचित व्यवस्था की जाये ताकि वह राजनीतिक और सामाजिक रूप से जागरूक हो सकें तथा अन्य लोगों को भी जागरूक कर सकें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अन्तर्गत, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में विधि के समक्ष समान अवसर व अधिकार उन्हें प्रदान किये गये हैं।

अनुच्छेद (243) (घ)-(3)- प्रत्येक पंचायत में एक तिहाई सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है।

अनुच्छेद 243(घ)-(4)- पंचायतों में अध्यक्ष पद हेतु एक तिहाई सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है।

भेदभाव बिना निर्वाचक नामावली में सम्मिलित होने का प्रावधान किया गया है।

226- सर्ववस्यक मताधिकार

सूचना संचार तकनीकि का विकास, शिक्षा का सार्वभौमीकरण, स्वास्थ्य सेवाएँ राजनैतिक सबलीकरण के प्रयास के कारण आज महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार होना प्रारम्भ हुआ है, महिला सशक्तिकरण की सम्पूर्ण अवधारणा "महिलाओं को समुचित अवसर प्रदान करने में है।" भारत में महिला सशक्तिकरण का प्राथमिक उद्देश्य महिलओं की सामाजिक एवं आर्थिक दशा को सुधारना है। यातना, शोषण, उत्पीड़न, अवमानना और उपेक्षा की शिकार रहीं है,

इनकी सामाजिक दुर्दशा को कहीं-न-कहीं विचारधाराओं, संस्थागत रिवाजों एवं समाज में प्रचलित प्रतिमानों ने बढ़ाया है।

महिला सशक्तिकरण में स्त्री संगठनों, गोष्ठियों, विचारों के प्रयत्नों के फलस्वरूप कई संवैधानिक मान्यताएं एवं व्यवस्थाएं की गई और समय-समय पर ऐसे अधिनियम पारित किए गए, जिन्होंने स्त्रियों की निर्योग्यताओं को दूर करके, उन्हें ऊँचा उठाने पर बल दिए जो आज हमारी उपलब्धियों और सशक्तिकरण के साक्षी के प्रमाण हैं।

महिला को सशक्त बनाने की दिशा में कानून कागजी रूप से जितना सशक्त सहारा प्रतीत होता है, उतना व्यवहारिक रूप में नहीं है, अतः आज समय की माँग यह है कि कानूनों को व्यवहारिक बनाने के प्रयास के साथ-साथ अपने सामाजिक ढाँचे में भी परिवर्तन करना होगा। वर्तमान में यही कहा जा सकता है कि उसकी वास्तविक क्षमता को पहचानकर उसके प्रति सम्मान की दृष्टि का विकास हो महिलाओं के लिए शिक्षा के समुचित अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें अपने दायित्वों और अधिकारों के प्रति सजग करते हुए उन्हें आर्थिक सामाजिक दृष्टि से आत्मनिर्भरता और स्वावलम्बन की ओर जाग्रत करने जैसे कुछ प्रमुख उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पिछले कुछ वर्षों से काफी प्रयास किए जा रहें हैं स्त्री-पुरूष सभी को सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय देने का आश्वासन दिया गया है महिला हो या पुरूष, समाज हो या राष्ट्र अस्तित्व रक्षा स्वतन्त्रता और शान्ति सम्भव है।

महिला सशक्तिकरण हेतु आवश्यक है कि वह स्वयं उन नीतियों एवं योजनाओं के निर्माण में सहभागी हो जो उसके लिए बनाई जा रही है। यह तभी सम्भव है, जबकि वे स्वयं उस राजनीतिक व्यवस्था का अंग हो जो नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं, राजनीतिक शक्ति संरचना एवं निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी से ही महिलाएं सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ सकेगी। आज का युग महिला सशक्तिरण का है आज महिलाएं अपने अस्तित्व की पहचान कर रहीं है वे अपनी स्वतत्रता के प्रति सजग हुई हैं। अतः विश्व का कोई भी ऐसा देश नहीं है, जहां महिलाओं को हाशिए पर रखकर आर्थिक विकास सम्भव हुआ हो, महिलओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़े बिना किसी समाज राज्य एवं देश की आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। आज अनवरत् सघर्ष के बुते देश में महिलाओं ने सत्ता के सर्वोच्च शिखर तक चढ़कर प्रत्येक क्षेत्र में स्वयं को पुरूषों के समकक्ष साबित किया है। वे नए जोश के साथ राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में अपनी भूमिका निभा रहीं है। 21वीं सदी का भारत नारियों का भारत होगा। विकसित भारत के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रहीं है उनका अपेक्षित विकास पुरूषों की तुलना में काफी आगे है। अतः आधुनिक लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली को अधिक शक्तिशाली बनाने तथा राजनीतिक सुदृढ़ आधार देने के लिए महिलाओं की राजनीतिक जागरूकता आवश्यक है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची-

1. लवानिया एम.एम., जैन शशि, (1977), "भारतीय महिलाओं का समाजशास्त्र, रिसर्च पब्लिकेशन, जयपुर
2. मोदी अनीता,(2011), "सशक्तिकरण विविध आयाम", बाईकिंग बुक्स, जयपुर
3. माथुर, एल.पी. (2010), "भारत की महिला स्वतंत्रता सेनानी", आविष्कार पब्लिसर्श, जयपुर
4. सिन्हा, अर्चना, "पंचायत के जरिये ग्रामीण विकास में महिलाओं की भूमिका, कुरूक्षेत्र, वर्ष (2002 दिसम्बर), अंक 48